सत्यमेव जयते

संख्या : / /जी0एस0/शिक्षा/A3-25(2)/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 16 दिसम्बर, 2019**

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्याः 312 मान्यता/केयू/2019–20 दिनांक 31 मई, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **स्वामी विवेकानन्द (प्रा0) कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, गौलापार, हल्द्वानी, नैनीताल** को **बी0बी0ए0** पाठ्यक्रम में सत्र 2018–19 से 2020–21 तक की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2018–19 से पूर्व के सत्रों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कुमाऊँ विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 के मानकों के पूर्ण होने की दशा में इस सचिवालय के पत्र संख्या 296 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर सम्बद्धता विषयक आदेश यथाशीघ्र जारी करे व आदेश की प्रति विश्वविद्यालय द्वारा मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ उपलब्ध कराई जाये।

3– यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष दर वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के पूर्व निर्णय के क्रम में शैक्षिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति द्वारा **उक्त संस्थान** को **बी0बी0ए0** पाठ्यक्रम में **60 सीटों** के साथ **सत्र 2019–20** हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान कर दी गई है कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 विनियमों के सभी मानक पूर्ण होने की दशा में निर्णय लेते हुए अस्थाई सम्बद्धता विषयक आदेश जारी करेगी व विद्यालय/संस्थान की फैकल्टी की यूजीसी के मानकानुसार अर्हता का अनुमोदन विश्वविद्यालय स्तर से ही यू0जी0सी0 विनियम–2009 के विनियम 3.4 सपठित 3.4.7 के दृष्टिगत तीन माह के भीतर किया जायेगा व कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति के अवलोकनार्थ इस सचिवालय को प्रस्तुत की जायेगी।

4– अग्रेत्तर वर्षो हेतु सम्बन्धित वर्षों में यथा समयसारिणी प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

5– तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह0/-

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3320 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A3-25(2)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)
कुलाधिपति के उप सचिव।